न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामजीलाल बनाम बच्चू वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/41/2025

09.05.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 218 खसरा संख्या 647/0.05, 648/0.26, 649/0.21, 650/0.08, 651/0.13 652/0.12 वाके ग्राम घाटडा तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। ना ही जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करें। ना ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 218 वाके ग्राम घाटडा तहसील टहला की खातेदारी है। विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 218 खसरा संख्या 647/0.05, 648/0.26, 649/0.21, 650/0.08, 651/0.13, 652/0.12 कुल किता 6 कुल रकबा 0.85 है० वाके ग्राम घाटडा तहसील टहला जिला अलवर* के मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13.06.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हरकेश मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

13/06/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वकिल प्रार्थी द्वारा प्रकरण नोट प्रेस मे खारीज करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना 212 मुलवाद के साथ नोट प्रेस मे खारीज किया जाता है। पत्रावली मुलवाद के साथ सलग्न होकर जमा लेख -भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़